संख्या—424/XXVII (1)/2010

प्रेषक,

एल०एम० पन्त,
सचिव,वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—1

देहरादून:: दिनांक: 27 :जुलाई,2010

विषय:— 13वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2010—11 के लिए समस्त ग्राम पंचायतों को प्रथम किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010—11 की प्रथम किश्त के लिए कुल धनराशि रू0 137600000.00 (रू0 तेरह करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) को संलग्नानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

2— संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

3— 13वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:—

(1) पथ प्रकाश (2)पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4— जिला पंचायतों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

5— जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित ग्राम पंचायत को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

6— अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के सम्बंध में जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 तक उपलब्ध करायेंगे।

समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

8–संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

9– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

10– संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें– 198–ग्राम पंचायतें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 0103–13वॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

26/7/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

संख्या 4२५ /(XXVII (1)/2010, तद्दिनांक:—
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड-देहरादून को इस निदेश के साथ कि वे दिनांक 5.12.2010 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र सचिव, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

16/7/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या 424 /XXVII (1) / 2010
दिनांक 27 जुलाई 2010 का संलग्नक।

13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ग्राम पंचायतों (विकासखण्डवार) को देय संकलन।

(धनराशि हजार में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	संशोधित ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2010–11 हेतु देय प्रथम किश्त
1	2	3	4	5
1-	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	50	478
		भिकियासैंण	98	701
		चौखुटियाँ	99	837
		धौलादेवी	109	1723
		द्वाराहाट	118	1035
		हवलबाग	126	959
		लमगड़ा	97	1144
		सल्ट	138	1473
		स्याल्दे	93	1178
		ताकुला	89	634
		ताड़ीखेत	130	1604
		योग:–	1,146	11766
2.	बागेश्वर	बागेश्वर	181	1740
		गरुड़	101	816
		कपकोट	115	1611
		योग:–	397	4167
3	चमोली	दशोली	86	990
		देवाल	44	779
		गैरसैंण	95	1535
		घाट	82	720
		जोशीमठ	52	2150
		कर्णप्रयाग	94	1315
		नारायणबगड़	70	728
		पोखरी	76	876
		थराली	53	704
		योग:–	601	9797

16/7/2010

P-1

13वीं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ग्राम पंचायतों (विकासखण्डवार) को देय संक्रमण।

(धनराशि हजार में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	संशोधित ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2010–11 हेतु देय प्रथम किश्त
4-	चम्पावत	बाराकोट	47	440
		चम्पावत	99	1767
		लोहाघाट	35	569
		पाटी	79	767
		योगः—	290	3543
5-	देहरादून	चकराता	97	1444
		डोईवाला	47	1935
		कालसी	97	1490
		रायपुर	55	1991
		सहसपुर	65	2477
		विकासनगर	52	1972
		योगः—	403	11309
6-	हरिद्वार	बहादराबाद	64	5434
		भगवानपुर	53	2867
		खानपुर	21	894
		लक्सर	43	1736
		नारसन	58	2442
		रुड़की	58	2107
		योगः—	302	15480
7-	नैनीताल	बेतालघाट	71	872
		भीमताल	62	711
		धारी	35	482
		हल्द्वानी	69	2166
		कोटाबाग	38	699
		ओखलकांडा	76	1147
		रामगढ़	56	757
		रामनगर	53	1112
		योगः—	460	7946
8-	पौड़ी	बीरोखाल	102	2156
		दुगड्डा	99	4242
		द्वारीखाल	99	2602

16/7/2010 P.2

13वीं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ग्राम पंचायतों (विकासखण्डवार) को देय संक्रमण।

(धनराशि हजार में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	संशोधित ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2010–11 हेतु देय प्रथम किश्त
		एकेश्वर	83	1307
		कल्जीखाल	87	1674
		खिर्सू	43	894
		कोट	68	1227
		लैंसडाउन(ज०ख०)	74	1697
		नैनीडाण्डा	89	2133
		पाबौ	74	1731
		पौड़ी	64	1077
		पोखड़ा	57	871
		रिखणीखाल	81	1593
		थलीसैंण	102	2913
		यमकेश्वर	86	2637
		योग:–	1208	28754
	पिथौरागढ़	बेरीनाग	88	1365
		धारचूला	56	1981
		डीडीहाट	67	560
		गंगोलीहाट	122	1637
		कनालीछीना	88	769
		मुनाकोट	74	814
		मुनस्यारी	93	2247
		पिथौरागढ़	81	780
		योग:–	669	10153
[illegible]	रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	156	2086
		जखोली	102	985
		ऊखीमठ	65	1019
		योग	323	4090
[illegible]	टिहरी	भिलंगना	178	3669
		चम्बा	99	988
		देवप्रयाग	111	1192
		जाखणीधार	90	789
		जौनपुर	124	1606

16/7/2010

P.3

13वीं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ग्राम पंचायतों (विकासखण्डवार) को देय संक्रमण।

(धनराशि हजार में)

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	संशोधित ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2010–11 हेतु देय प्रथम किश्त
		कीर्तिनगर	82	734
		नरेन्द्र नगर	111	882
		प्रतापनगर	88	858
		थौलधार	86	787
		योग	979	11505
12-	ऊधम सिंह नगर	बाजपुर	39	1216
		गदरपुर	43	993
		जसपुर	43	1129
		काशीपुर	28	857
		खटीमा	55	2981
		रूद्रपुर	45	1199
		सितारगंज	56	3119
		योग	309	11494
13-	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	77	1421
		चिन्यालीसौण	74	858
		डुंडा	88	986
		मोरी	62	1164
		नौगांव	113	2669
		पुरोला	40	498
		योगः–	454	7596
		महायोगः–	7541	137600

(रू0 तेरह करोड़ छिहत्तर लाख मात्र)

P.L.

16/7/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।